भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

टी०ए० मिस केस सं०–216/2019–20

आदेश की तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद टिप्पणी तारीख साथ
17.02.2020	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर का जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है। जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर को स्मारित करें। अगली तिथि 24.03.2020 को निर्धारित की जाती है। अभिलेख 24.03.2020 को उपस्थापित करें। 17.2.20 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।	
24.03.2020	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर का जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है। Covid-19 के कारण वाद की सुनवाई नहीं हो सकी अगली तिथि 26.05.2020 को रखें। अभिलेख 26.05.2020 को उपस्थापित करें। 24.3.20 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।	
26.05.2020	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर का जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है। जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर को स्मारित करें। विज्ञ अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार बेहरा द्वारा लिखित रूप से आवेदन पत्र दायर कर बताया गया है कि उनके द्वारा पूर्व में दिए गए आवेदन में भूलबस रकवा 07 डि0 3 हेक्टेयर अंकित हो गया था। बिक्रेता एवं क्रेता 0.07 ए0 भूमि ही क्रय बिक्रय हेतु सहमत हैं। सुनवाई की अगली तिथि 09.07.2020 को निर्धारित की जाती है। अभिलेख 09.07.2020 को उपस्थापित करें। 26.5.20 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।	
	आदेश	
09.07.2020	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, **चक्रधरपुर** के पत्रांक–325, दिनांक–27.06.2020 द्वारा जाँच प्रतिवेदन दिनांक–01.07.2020 को प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, **चक्रधरपुर** ने प्रतिवेदित किया है कि आवेदक **लोकनाथ सामाड़**, पिता–**स्व0 राम कुमार सामाड़**, जाति–हो **(अ०ज०जा०)**, ग्राम–**सिलफोड़ी**, थाना–**चक्रधरपुर**, जिला **प० सिंहभूम** ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(प)प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत भूमि हस्तांतरण हेतु आवेदन पत्र दिया है। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर के प्रतिवेदनानुसार आवेदित आवासीय भूमि मौजा–**सिलफोड़ी**, थाना नं0–**97**, खाता नं०–**149**, खेसरा नं0–**1441**, रकवा–**0.07 ए0** भूमि क्रेता **मानसिंह पुरती**, पिता–**कपिलदेव सिंह पुरती**, जाति–हो **(अ०ज०जा०)**, ग्राम–**बुढ़ीगोड़ा**, थाना–**चक्रधरपुर**, जिला–**प० सिंहभूम** के पास बिक्री करना चाहते हैं। दोनों पक्षों को सूचना निर्गत किया गया एवं आम इश्तेहार किया गया।	

जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि बिक्री की जानेवाली जमीन आवेदक **लोकनाथ सामाड़**, पिता–**स्व0 राम कुमार सामाड़**, जाति–**हो (अ॰ज॰जा॰)**, ग्राम–**सिलफोड़ी**, थाना–**चक्रधरपुर**, जिला **प॰ सिंहभूम** के दखल कब्जे में है तथा अपने हक के ही जमीन को क्रेता के पास बेचना चाहते हैं। आम इश्तहार एवं नोटिस तामिला प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित जमीन को बेचे जाने पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा आजतक किसी भी प्रकार की आपत्ति इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। तामिला प्रतिवेदन अभिलेख के साथ संलग्न है।

बिक्रेता एवं क्रेता का थाना–**चक्रधरपुर**, जिला–**प0 सिंहभूम** के निवासी हैं। बिक्रेता एवं क्रेता का जाति **हो (अ॰ज॰जा॰)**, समुदाय के सदस्य हैं। बिक्रेता उक्त वर्णित भूमि **मकान बनाने हेतु** बेचना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि बिक्री के पश्चात् बिक्रेता को **चक्रधरपुर** अंचल अंतर्गत **रकवा 4.05 ए0** अवशेष भूमि बचता है। अंचल अधिकारी, **चक्रधरपुर** द्वारा बिक्रेता को 0.07 ए0 भूमि बेचने हेतु अनुशंसा की गई है। विज्ञ अधिवक्ता द्वारा दिए गए आवेदन पत्र एवं अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर बिक्रेता को 0.07 ए0 भूमि बिक्री करने की अनुमति दी जाती है। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन तथा आम इश्तेहार पर आपत्ति प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप आवेदक/आवेदिका को अपने हक एवं दखल की उपरोक्त जमीन बिक्रेता **लोकनाथ सामाड़**, पिता–**स्व0 राम कुमार सामाड़**, जाति–**हो (अ॰ज॰जा॰)**, ग्राम–**सिलफोड़ी**, थाना–**चक्रधरपुर**, जिला **प॰ सिंहभूम** उक्त भूमि **70,000/–(सत्तर हजार)** रूपये में उक्त क्रेता को बेचना चाहते हैं। राजस्व एवं निबंधन विभाग द्वारा निर्धारित दर अथवा क्रेता एवं बिक्रेता द्वारा तय मूल्य में जो अधिक है दर पर, निबंधन शूल्क अदा कर बेचने की **स्वीकृति** दी जाती है।

आदेश की प्रति पक्षकार को उपलब्ध करायें।

9.7.20

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।